माली देवी V/S मामराज वगै०

तारीख हुक्म	प्रार्थना पत्र 15 हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज मु० न० 44/19	नंबर अहकाम हुक्म में
17-12-20	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष कारण उपस्थित। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 18-12-20 को पेश हो। P० साहब आज अवकाश पर है। (हस्ताक्षर)	
18-12-20	पत्रावली पेश हुयी। वकुलाय उभय पक्ष उप०। मूल प्रार्थना पत्र में बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय। आदेश दि० 24-12-20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
24-12-20	पत्रावली पेश हुयी। वकुलाय उभय पक्ष। मूल प्रार्थना पत्र O9 R13 CPC को स्वीकार किया जाकर निर्णित किया गया है विस्तृत निर्णय मूल पत्रावली प्रार्थना पत्र O9 R13 CPC में लिखवाया जा चुका है अतः प्रार्थना पत्र स्थगन को आगे चलाये जाने का औचित्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र स्थगन इसी स्तर पर खारिज कर निर्णित किया जाता है पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं दफ्तर दाखिल हो। (हस्ताक्षर) 24.12.20 (ब्रजेश कुमार) (... न्यायाधीश) सीकरी...	

Signature Not Verified
Digitally signed by Brajesh Kumar
Date: 2020.12.29 12:26:15 IST
Reason: SelfAttested

मालती देवी बनाम भागीरथ बड़ी

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

अंतर्गत धारा 151 CPC मु.नं. - 44/19

	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

पुनः पत्रावली पत्रावली एवं मूल प्रार्थना पत्र 09 R 13 CPC का निर्णय लेखबद्ध करने एवं सुनाये जाने के पश्चात वकील अप्रार्थी सं. 1 ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 24.12.2020 को प्रार्थना पत्र 09 R 13 CPC स्वीकार किया गया है जिसकी प्रार्थी अपीलान्ट न्यायालय में अपील प्रस्तुत करना चाहता है, प्रकरण में प्रार्थिया उक्त प्रार्थना पत्र 09 R 13 CPC में वर्णित भूमि को अन्य दीगर को बेचान करने पर आमादा है, जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थी को उक्त निर्णय की अपील में स्थगन होने तक उक्त निर्णय दिनांक 24.12.2020 की क्रियान्विती स्थगित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय दि. 24.12.2020 की क्रियान्वेती अपील में स्थगन होने तक स्थगित करवायी जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निम्न कारणों से पोषणीय / चलने योग्य नही है-

(1) प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण एवं निर्णय लेखबद्ध तथा सुनाये जाने के पश्चात पेश किया है, इस स्तर पर इस प्रकार का प्रार्थना पत्र ग्राह्य नही है।

(2) प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय की अपील किये जाने एवं तत्पश्चात अपील में भी स्थगन प्राप्त होने तक पारित निर्णय की क्रियान्वेती रोकने का स्थगन चाहा है, क्योंकि पारित निर्णय की क्रियान्वेती रोकने हेतु वह भी अपील प्रस्तुत करने के बिन्दु पर न्यायालय हाजा द्वारा किसी भी प्रकार का स्थगन दिया जाना न्यायोचित एवं तर्कसंगत नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2020.12.29 12:26:15 IST
Reason: SelfAttested

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (

......आरती देवी.............. बनाम ......भगिरथ वगै.............

किस्म मुकदमा ......प्रार्थना पत्र 151 CPC.............. नं. ..५५.......... सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	(3) यह कि प्रकरण मूल रूप से प्रार्थना पत्र 09 R 13 CPC के स्वीकार किये जाने का है जिसमें प्रार्थना पत्र 09 R 13 CPC स्वीकार किये जाने से किसी के अधिकार प्रभावित नही होकर पत्रावली पुन: नम्बर सुनवाई पर ली जाकर हितबद्ध पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिया गया है। अत: मूल वाद 698/2017 उनवानी भामराज बनाम रामकरण आदि जिसे पुन: नम्बर पर लिया गया है मे प्रार्थी बतौर वादी पक्षकार है, यदि वादी के हितो पर कोई वीपरीत प्रभाव कारित होने की संभावना है तो प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 RTA मे प्रस्तुत कर गुणावगुण पर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। अत: उक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज कर निर्णित एवं नस्तीबद्ध किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 24-12-2020 यथावत रखा जाता है (हस्ताक्षर) (बृजेश कुमार) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2020.12.29 12:26:15 IST
Reason: SelfAttested